

कार्यालय आदेश सं. - 18/17

मंपचप्र./वारा.का दण्डादेश सं. टी/एस.एस./मै.मै./कप्तानगंज/विजा/2/05दिनांक 22-08-06 के समसंख्यक पत्र दिनांक 02-04-07 के द्वारा 2550-3200 के वेतनमान न्यूनतम वेतन 2550/-पर दस स्थायी रूप से निर्धारित करने के साथ कार्य पर लगाया जाता है। जिसके विरुद्ध कर्मचारी ने महाप्रबंधक (का.) गोरखपुर के पत्र सं. का/74/4/रामबदन/वारा./1397/डी.ए.3 दिनांक 09-01-08 द्वारा रिजनिंग अधिकारी के दण्डादेश के विरुद्ध अपील पर मु.परिप्र./गोरखपुर द्वारा न्यूनतम वेतन 2550/- पर 10 वर्ष के लिये बिना संचयी प्रभाव से निर्धारित किया गया था। जिसके पश्चात कर्मचारी का वर्तमान में दण्ड समाप्ति के पश्चात इनके नाम एवं पद के समक्ष वेतन निर्धारित किया जाता है।

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदनाम एवं कार्यस्थल	पूर्व वेतन निर्धारण	फरवरी से जून के आधार पर संशोधित वेतन निर्धारण वेतन निर्धारण
01	रामबदन रामबदन	गोटमैन/परि कप्तानगंज	5880+1800= 7680 01-01-06 6110+1800= 7910 01-07-06 वेतनमान 2500-3200 के न्यूनतम वेतन रूपया 2500 पर (5200+1800) पर 10 वर्ष प्रभावी तिथि दिनांक (02-04-07 से 01-04-17) तक बिना संचयी प्रभाव से निर्धारित। 5200+1800=7000 02-04-07 (दण्ड पर निर्धारित वेतन) 7000/- 01-07-15 18000/- 01-01-16 18000/- 01-07-16	5880+1800= 7680 01-01-06 6110+1800= 7910 01-07-06 वेतनमान 2500-3200 के न्यूनतम वेतन रूपया 2500 पर (5200+1800) पर 10 वर्ष प्रभावी तिथि दिनांक (02-04-07 से 01-04-17) तक बिना संचयी प्रभाव से निर्धारित। 5200+1800=7000 02-04-07 (दण्ड पर निर्धारित वेतन) 7000/- 01-07-15 18000/- 01-01-16 18000/- 01-07-16 27200/- 01-07-16 (दण्ड समाप्ति के पश्चात वेतन निर्धारण) 28000/- 01-07-16

सं. का/परि./पीसी/रामबदन

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठपरिप्रबंधक/वर्मविप्र./मंपचप्र.वारा.।
2. स्टेट्डी/वारा./गोरखपुर,छपरा,कप्तानगंज, मु. छायांधी/धातायात/बिल अनुभाग।
3. एम.पी.पी.शेल,वारा.,सम्बंधित कर्मचारी (अन्य प्रति/कार्यालय आदेश पुस्तिका)।
4. मंडल मंत्री नरमू/अजा.अजजा./अपिजा.एस।.वारा.।

सकाधि-1:
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) का
वाराणसी।
दिनांक 23-08-17

सकाधि-1:
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) का
वाराणसी।